यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)-प्रथम, राज्य कर, खटीमा** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)-प्रथम, राज्य कर, खटीमा के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार एवं श्री सिराज हुसैन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 28.01.2019 से 04.02.2019 तक श्री एन.के.सिन्हा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रवि भूषण वरिष्ठ लेखापरीक्षक एवं श्री अजय कुमार मिश्रा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 20.02.2018 से 28.02.2018 तक श्री अशोक कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व एवं व्यय हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व एवं व्यय हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

(ii) (अ) **राजस्व विवरणः**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2015-16	3952.60
2016-17	4325.48
2017-18	1165.95

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष (` लाख में)**		**स्थपना**		**गैर स्थापना (` लाख में)**		**आधिक्य**	**बचत**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2015-16	-	-	-	-	-	-	-	-
2016-17				शून्य				
2017-18	-	-	-	-	-	-	-	-

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई .....A.. श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- आयुक्त कर- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर- उप आयुक्त- सहायक आयुक्त- वाणिज्य कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **राईस मिल, ट्रेडर्स** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)-प्रथम, राज्य कर, खटीमा** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) माह 03/18 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2(ख)

प्रस्तर -01 अर्थदण्ड का अनारोपन ₹3.33 लाख|

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-58(1)(vii) के अंतर्गत यदि किसी व्योवाहरी ने युक्ति – युक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबंधो के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया है तो वह देय कर का कम से कम 10% किन्तु अधिक से अधिक 25% यदि कर 10 हज़ार रूपए तक हो और देय कर का 50% यदि कर 10 हजार रूपए से अधिक हो का दायी होगा|

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क. नि.) –I राज्य कर, खटीमा के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि 02 व्यापारियो द्वारा विभिन्न माहों में देय कर की कुल राशि ₹3331941 /- को विलंब से जमा किया गया था|(विवरण संलगन)

अत: विलम्ब से जमा कर की राशि पर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत न्यूनतम 10% की दर से नियामानुसार ₹333194/- का अर्थदण्ड अरोपणीय था जो नहीं किया गया था|

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि स्वीकृत कर विलंब से जमा किये जाने के कारणों का विशलेषण करते हुए अनुपालन आख्या प्रेषित कर दी जाएगी

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में सुधारात्मक कार्यवाही हेतु लाया गया जिसकी सम्प्रेक्षा में प्रतीक्षा रहेगी|

क्र स.	व्योव्हारी का नाम / टिन स.	कर निर्धारण वर्ष	माह	नियमानुसार जमा करने की तिथि	कर जमा की वास्तविक तिथि	कर की धनराशि (₹)	न्यूनतम आरोपणीय अर्थदण्ड (₹) @ 10%
1.	**सर्वश्री जिंदल इंडस्ट्रीज सितारगंज टिन: 05002674703**	2014-15	07/2014	20.08.2014	25.08.2014	267000	26700
			08/2014	20.09.2014	22.09.2014	323000	32300
			01/2015	20.02.2015	28.02.2015	45000	4500
			01/2015	20.02.2015	28.02.2015	275000	27500
			02/2015	20.03.2015	25.03.2015	57000	5700
2.	**सर्वश्री जिंदल इंडस्ट्रीज सितारगंज टिन: 05002674703**	2015-16	04/2015	20.05.2015	25.05.2015	435200	43520
			04/2015	20.05.2015	25.05.2015	3175	317.5
			06/2015	20.07.2015	23.07.2015	492406	49240.6
			06/2015	20.07.2015	23.07.2015	2540	254.0
			07/2015	20.08.2015	25.08.2015	370000	37000.0
			08/2015	20.10.2015	03.10.2015	150000	15000
			10/2015	20.11.2015	24.11.2015	314000	31400
			10/2015	20.11.2015	24.11.2015	4920	492.0
			10/2015	20.11.2015	24.11.2015	7700	770
			11/2015	20.12.2015	22.12.2015	6000	600
			11/2015	20.12.2015	22.12.2015	570000	57000
			11/2015	20.12.2015	22.12.2015	9000	900
	TOTAL					**3331941**	**333194.1**

STAN

STAN- कर का जमा न किया जाना ₹11.01 लाख

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 25 के प्रावधानों के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी व्योव्हारी द्वारा प्रस्तुत विवरणियो, लेखापुस्तकों और अन्य दस्तावेजो का परिक्षण कर संतुष्ट होने की दशा में लिखित आदेश द्वारा व्योवहारी पर कर निर्धारित करेगा|

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क. नि.)- 1 राज्य कर, खटीमा के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में ₹2,20,20,250/- की होजरी की प्रांतीय बिक्री की गई थी जिसपर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 5% की दर से ₹ 11,01,013/- का कर-आरोपित किया गया था| जिसके जमा करने का साक्ष्य / चालान पत्रावली में उपलब्ध नहीं पाया गया|

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि पत्रावली के जांचोपरांत अनुपालन आख्या प्रेषित कर दी जाएगी|

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में सुधारात्मक कार्यवाही हेतु लाया गया जिसकी सम्प्रेक्षा में प्रतीक्षा रहेगी|

भाग 2 (ख)

प्रस्तर 02- अनियमित फॉर्म -H के विरुद्ध निर्यात पर कर मुक्ति प्रदान किया जाना (₹ 8.46 लाख)

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 5 एवं केंद्रीय बिक्री कर नियमावली के नियम 12(10) के प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय फॉर्म – H के विरुद्ध माल देश के बाहर निर्यात पर कर मुक्ति अनुमन्य होगी |

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क. नि.) **–1** राज्य कर, खटीमा के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री संदीप इंडस्ट्रीज सितारगंज कर निर्धारण वर्ष 2014-15 के वाद में व्यापारी द्वारा केन्द्रीय फॉर्म **–** H (क्रं.सं. **12234621860815**) के विरुद्ध कुल ₹ 16925400/- के चावल का निर्यात देश के बाहर किया गया जिसपर कर मुक्ति प्रदान किया गया था|

उपरोक्त फॉर्म **–** H के आगे लेखापरीक्षा जाँच में यह पाया गया कि उक्त निर्यात हेतु आवश्यक अनुबंध दिनांक 23.06.2015 को किया गया था| इससे स्पष्ट था कि निर्यात हेतु समयबहार अनुबंध किये जाने से पहले पूर्ण हो चूका था जो की अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के विरुद्ध था|

अत: इस अनियमित फॉर्म **–** H के विरुद्ध ₹ 16925400/- के निर्यात पर कर मुक्ति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप 5% की दर से ₹ 846270/- के कर का अनारोपण हुआ|

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा जांचोपरांत आवश्यक कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया गया जिसकी सम्प्रेक्षा में प्रतीक्षा रहेगी|

प्रकरण उचाधिकारियो के संज्ञान में लाया गया|

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या
CT-59/2004-05	-	02 (1)
CT-26/2006-07	-	01 (1)
CT-28/2008-09	02 (1)	1(ख), 1(ग), 2 (2)
CT-33/2009-10	1,2,3,4,5 (5)	1,6,9 (3)
CT-19/2010-11	1,2 (2)	1,2,3,4,5 (5)
CT-06/2012-13	1,3,4 (3)	3,5,6(क), 6(ख) (4)
CT-46/2014-15	STAN 1,2 (2)	-
CT-43/2015-16	-	1,2,3,4,5 (5)
CT-35/2016-17	1,2,3 (3)	1,2,3 (3)
CT-156/17-18	-	1

NOTE:- प्रस्तावित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या साक्ष्य सहित उच्चाधिकारियों के माध्यम से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराये जिससे पूर्ण निस्तारण किया जा सकें।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)-प्रथम, राज्य कर, खटीमा** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
1	डा0 रणबीर सिंह	उपायुक्त)	04/2017 से 02/2018
2	श्री तारकेश्वर मिश्रा	(उपायुक्त)	02/2018 से 03/2018

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)-प्रथम, राज्य कर, खटीमा** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र